न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :116/2013

1. कुलदीप सिंह भुल्लर पुत्र निरंजन सिंह जाति जट सिख निवासी 5 एफ एफ ए तहसील श्री करणपुर हाल sit well close, workshop, s-8, IEY, sheiffielol, England,.UK जरिए मुख्तयारेआम मोहन सिह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. प्रीतकलम सिह भुल्लर पुत्र सतविन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाति जटसिख निवासी चक 5 एफएफ ए तहसील श्री करणपुर।
2. बलतोज सिह भुल्लर पुत्र सतविन्द्र सिंह उर्फ पप्पू जाति जटसिख निवासी चक 5 एफएफ ए तहसील श्री करणपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

1. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी , अधिवक्ता — -:प्रार्थी की ओर से:-
2. श्री सुरेश गोयल अधिवक्ता,जसकरण गोदारा — -:अप्रार्थी संख्या 1,2 की ओर से:-
3. राजपैरोकार — -: अप्रार्थी संख्या 3 :-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 19/8/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। कि गुरदिता सिंह पुत्र नत्था सिंह वादी कुलदीप सिंह का दादा था जो कि फौत हो चुका है। गुरदिता सिंह के 6 वारिसान 3 पुत्र व 3 पुत्रियां थे। वादी का पिता निरंजन सिंह था। जो कि फौत हो चुका है। गुरदिता सिंह के अन्य वारिसान से वादी कोई रिलिफ नही चाहता है। वादी के पिता मृतक निरंजन सिंह के 6 वारिसान 3 पुत्र व 3 पुत्रियां थे। निरंजन सिंह के जीवित पुत्री हरबंस कौर है। इसके अलावा निरंजन के एक अन्य पुत्र था जो कि फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 मृतक मनजीत सिंह के वारिसान है निरंजन सिंह की एक अन्य पुत्री दलजीत कौर थी। जो फौत हो चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 10,11,12 मृतका दलजीत कौर के जायज वारिसान है इसके अलावा निरंजन सिंह को एक अन्य पुत्री मलकीत कौर थी। प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 मृतका मलकीत कौर के जायज वारिसान है। चक 5 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2001 के खाता संख्या 2 के मु.न. 22 ता 25, 31 ता 34 में करीब 200 बीघा नहरी भूमि मय खाला वादी के दादा गुरदिता सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त सयुक्त खाता की भूमि गुरदिता के फौत होने के बाद मुझ वादी के पिता निरंजन सिंह को चक 5 एफ एफ ए के मु.न. 24,25,32,33 के कुल 100 बीघा नहरी मय खाला भूमि में से निस्फ भूमि विरास्त में प्राप्त हुई। शेष भूमि गुरदिता के अन्य वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई। चक 5 एफ एफ ए के जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 26/23 के मु.न. 22, 30, 31, 35, कुल 13.154 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 2.192 हैक्टर भूमि व चक 5 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 19/20 के मु.न. 24, 35/1, की कुल 1.998 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि वादी के पिता निरंजन सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि जद्दी जायदाद की पैतृक भूमि है। जो संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है। वादी अपने पिता निरंजन सिंह के नाम दर्ज उक्त दोनो खातो की कुल 4.190 हैक्टर भूमि मे से 1/6 हिस्सा की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के पिता निरंजन सिंह के नाम दर्ज उक्त 4.190 हैक्टर भूमि जद्दी जायदाद की भूमि होना जानते हुए निरंजन सिंह ने एक वसीयत दिनांक 29.03.2004 को गलत आधारो पर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के नाम तहरीर करवाई है जो कि कानून विपरीत होने के कारण शुरू से ही शून्य व अवैध है। दिनांक 04.12.2013 को वादी प्रतिवादीगण प्रीतकमल व बलजोत सिंह से मिला व उन्हे कहा कि वे वसीयत दिनांक 29.03.2004 को निरस्त करवाकर निरंजन सिंह के नाम दर्ज भूमि मे से मुझ वादी के हिस्सा की भूमि मेरे नाम करवा दे लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। और कहने लगे कि हम तुम्हे तुम्हारे हिस्सा की भूमि नही देगे व तमाम भूमि खुर्द बुर्द कर देगे। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी की भूमि छिन्न जायेगी। जिससे मुझ प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

क्षतिपूर्ति की जानी किसी भी प्रकार से संभव नही होगी इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं राईट एण्ड टाईटल के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 5 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 26/23 के मु.न. 2, मु.न. 30, मु.न. 31 मु.न. 35 की कुल 13.154 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज 2.192 हैक्टर रकबा व इसी चक के खाता संख्या 19/20 के मु.न. 24, 35/1, में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज कुल 1.998 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि यानि दोनो खातो की 4.190 हैक्टर भूमि को किसी भी प्रकार से रहन व वसीयत तथा मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे तथा वसीयत दिनांक 29.03.2004 की उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने से या करवाने से बाज व ममनू रहे व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थिति आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार गुरदिता सिह की वंशावली पूर्ण नही है। गुरदिता सिह के एक पुत्र एवं तीन पुत्रियों के नाम वंशावली में दर्ज नही है। यह कहना कतई गलत है कि गुरदिता सिंह के अन्य वारिसान के विरूद्ध प्रार्थी कोई रिलिफ नही चाहता है, उक्त भूमि गुरदिता सिह के फौत होन के बाद गुरदिता के वारिसान को विरास्तन प्राप्त हुई हो, उक्त तमाम भूमि जद्दी जायदाद की पैतृक भूमि हो जो संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि हो व प्रार्थी अपने पिता निरंजन सिंह के नाम दर्ज उक्त खाते की कुल 4.190 हैक्टर भूमि में जन्म से ही हिन्दू उतराधिकार के मुताबिक 1/6 हिस्सा की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का पिता निरंजन सिंह ने अपनी आराजी का विधिवत बंटवारा करवाने हेतु एक वाद अनवानी निरजन सिंह आदि बनाम स्टेट पत्रावली संख्या 192/78 अन्तर्गत धारा 53,88 आरटीए प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 12.10.1978 में माननीय न्यायालय के आदेश में दर्ज किया गया। प्रार्थी निरंजन सिंह के दो पुत्र हरभजन सिंह कुलदीप सिंह अपना-अपना हिस्सा लेकर अलग हो गये थे। अब विदेश रहने लग गये है इसलिए अब निरंजन सिंह का परिवार सयुक्त परिवार नहीं रह गया है। किसी आराजी का विधिवत बंटवारा हो जाने पर वह संयुक्त परिवार की सम्पति नही रहती हैं। इसलिए उक्त आराजी में प्रार्थी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कहना कतई गलत है कि प्रार्थी के पिता निरंजन सिंह के नाम दर्ज उक्त 4.190 हैक्टर भूमि जद्दी जायदाद भूमि होना जानते हुए निरंजन सिंह एक वसीयत दिनांक 29.06.2004 के गलत आधारो पर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के नाम करवाई है। कानून के विपरीत होने के कारण शुरू से शून्य व अवैध है। मद संख्या 12 अस्वीकार है। क्योकि दिनांक 04.12.2013 को स्वयं निरंजन सिंह जिन्दा थे और प्रार्थी उनसे मिला या नही यह दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त मद मात्र प्रार्थना पत्र कायम करने के लिए झूठे तथ्य दर्ज किये है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय हलफनामा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नही करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि चक 5 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 26/23 व इसी चक के खाता संख्या 19/20 में दोनो खातों में निरजन सिह के नाम दर्ज 4.190 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा बावत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि इस वादगत भूमि की पंजीकृत वसीयत निरजन सिह के द्वारा उनके हक में दिनांक 29.03.2004 की है। इसलिए प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है निरजन सिह के द्वारा अप्रार्थीगण के हक में की गई वसीयत पंजीकृत वसीयत है। जिसकी सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता। पत्रावली में पेश प्रकरण संख्या 192/1978 अनवान निरजन सिह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 12.10.1978 में निरजन सिह को लगभग 16

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 116/2013

11 बिस्वा भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई है। प्रार्थी को निरजन सिह की भूमि में कोई हक या हिस्सा प्राप्त है या नही यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थी के में बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार योग्य नही होने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण में दिनांक 10.08.2015 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 19/8/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner